प्ररूप 8 मृत्यु उपदान दिए जाने के संबंध में मृतक सरकारी कर्मचारी के कुटुंब के नामनिर्देशिती/सदस्य को भेजे जाने वाले पत्र का प्ररूप

मृत्यु उपदान ।दए जान क सबध म मृतक सरकारा कमचारा क कुटुब क नामानदाशता/सदस्य का भज जान वाल पत्र का प्ररूप [नियम 48 देखिए]
<del>і</del> .
भारत सरकार
मंत्रालय <b>ं</b>
विभाग/कार्यालय
तारीख ▷ ▷ М М Ү Ү Ү
सेवा में,
, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
विषय: - स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी की बाबत मृत्यु उपदान का संदाय
महोदय/महोदया,
मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि कार्यालय/विभाग/मंत्रालय
के/की स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पदनाम) द्वारा दिए
गए नामनिर्देशन के निबंधनों के अनुसार उनके नामनिर्देशिती(निर्देशितियों) को मृत्यु उपदान संदेय है। उक्त नामनिर्देशन की एक प्रति यहां संलग्न है।
पहा सलग्न हा यदि नामनिर्देशन करने की तारीख के बाद से ऐसी कोई आकस्मिकता घटित हो गई हो, जिससे कि संलग्न नामनिर्देशन पूर्णतः
या भागतः अविधिमान्य हो जाता हो तो उस आकस्मिकता के ठीक-ठाक ब्यौरों का उल्लेख करें।
या
केंद्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उपदान का संदाय) नियम, 2021 के नियम 22 और नियम 24 के
निबंधनों के अनुसार उपदान दिए जा <u>ने के लिए इस कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में कोई वैध नाम</u> निर्देशन अस्तित्व में नहीं है, कार्यालय/विभाग/मंत्रालय
स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पदनाम) के
कुटुंब के निम्नलिखित सदस्यों को बरोबर अशा में मृत्यु उपदान सदय है:
(i) पत्नी/पति, जिसके अंतर्गत न्यायिक रूप से पृथक पत्नी/पति भी है
(ii) पुत्र
(iii) अविवाहित पुत्रियां किसके अंतर्गत सौतेली संतान और दत्तक संतान भी आती है (iv) विधवा पुत्रियां
या
(उपरोक्त उत्तरजीवी सदस्यों के न होने पर)
(i) पिता और/या माता, जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि में दत्तक ग्रहण की अनुजा है, दत्तक माता पिता भी हैं।
ायता मा हा (ii)  अठारह वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित और विधवा बहनें, जिनके अंतर्गत सौतेले भाई और बहनें भी हैं;
(iii) विवाहित पुत्रियां; और
(iv) पूर्व मृत पुत्र की संतान।
<ol> <li>यदि आपका संलग्न नामनिर्देशन विधिमान्य है या आप नियम 22 और नियम 24 के अंतर्गत उपदान की भागतः या पूर्णतः रकम प्राप्त करने के हकदार हैं, यह निवेदन है कि उपदान के संदाय के लिए अपना दावा संलग्न प्ररूप 9 में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।</li> </ol>
भवदीय.

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

## FORM 8

Letter to the nominee/ member of family of a deceased Government Servant for grant of death gratuity [See rule 48]

No
Government of India Ministry of
Department/Office
To
Subject: - Payment of death gratuity in respect of late Shri/Smt./Kumari
Sir/Madam,
I am directed to state that in terms of the nomination made by late Shri/Smt.
(Name and Designation) in the Office/Department/Ministry of a death gratuity is payable to his/her nominee(s). A copy of the said nomination is enclosed herewith.
Should any contingency have happened since the date of making the nomination, so as to render the enclosed nomination invalid, in whole or in part, kindly state precise details of the contingency.
No valid nomination for grant of gratuity exists in this Office in terms of rule 22 and rule 24 of the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, a death gratuity is payable to the following members of the family of late Shri/Smt.
(Name and Designation), in the Office/Department/Ministry of in equal shares: -
(i) Wife/husband including judicially separated wife/husband
(ii) Sons (iii) Unmarried daughter (iv) widowed daughters  including step children and adopted children.
OR
(In the absence of above surviving members)
<ul> <li>(i) Father and / or Mother, including adoptive parents in case of individuals whose personal law permits adoption;</li> <li>(ii) Brothers below the age of eighteen years and unmarried and widowed sisters including step brothers and step sisters;</li> <li>(iii) Married daughters; and</li> </ul>
<ul> <li>(iv) Children of a pre-deceased son.</li> <li>In case your enclosed nomination is valid or you are entitled to receive part or whole amount of gratuity in</li> </ul>
terms of rule 22 and rule 24, it is requested that a claim for the payment of gratuity may be submitted in the enclosed
Form 9. Yours faithfully,

Signature of Head of the Office